518

शहरी विकास विभाग
9वॉं तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 85

दिनांक :– 09/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– सुश्री भावना गौड़

क्या उपमुख्यमंत्री/ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में सड़को के दोनों ओर बने फुटपाथों व सर्विस–लेन के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिण दिल्ली नगर निगम की है;	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** पालम विधानसभा क्षेत्र में 60 फुट से कम चौड़ी सड़कें जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आती है उन पर बने फुटपाथों के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है। सर्विस लेन 60 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर है, जिनके रख–रखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है।
(ख) यदि हाँ, तो क्या दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने दायित्व का निर्वहन भली–भांति कर रही है;	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी 60 फुट से छोटी सड़कों के रख–रखाव के दायित्व का निर्वाहन भली–भॉती कर रही है।
(ग) यदि नहीं तो पालम विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली मेन मार्किट के दोनों ओर बने फुटपाथों व सर्विस लेन के रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग के पास है;	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार।
(घ) उसका ब्यौरा क्या है;	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** उपरोक्तानुसार।
(ड) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों, बाजारों और फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर क्या सरकार ने	**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** पालम विधान सभा क्षेत्र नजफगढ़ के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अतिक्रमण चिन्हित होने पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय–समय पर

Principal Secretary
Urban Development Department
Govt. of NCT of Delhi

कोई सर्वे कराया है; और	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।
(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?	<u>**उत्तरः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**</u> उपरोक्तानुसार।